11/7/25 पत्रा० आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उप०।
प्रार्थी वकील के दिनांक 30/06/25 से तहसीलदार नदबई द्वारा पत्रांक 644 दिनांक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी वकील की बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील के कथन रहे कि राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर गोरधन पुत्र बद्रीलाल दर्ज हो गया है जो गलत है। जिसे दुरुस्त किया जाना आवश्यक है।
हमने पत्रा० पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं तहसीलदार नदबई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया। तो पाया गया कि तहसीलदार नदबई द्वारा भी गिरधारी पुत्र बद्रीलाल व गोरधन पुत्र बद्रीलाल दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया एवं प्रार्थी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने की अभिशंषा की गई।
अतः प्रार्थी का प्रा० पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम खाता सं. 317 वाके ग्राम पहरसर गोरधन पुत्र बद्रीलाल के स्थान पर गिरधारी पुत्र बद्रीलाल किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने की अनुमति प्रदान की जाती है।
प्रा० पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:05:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner